न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–388 / 2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–66 / 2026

1. गौतम कुमार उम्र लगभग 18 वर्ष, पिता–नारायण यादव उर्फ डोमी यादव सा0–शिशवा, वार्ड नं0–3, थाना–बरहरा कोठी (रघुवंशनगर ओ0पी0) जिला–पुर्णिया –काराधीन अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

जमानत आदेश

22–06–2026

दिनांक–02.03.2026 से काराधीन अभियुक्त गौतम कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो बिहारीगंज थाना काण्ड सं0–66 / 2026 अन्तर्गत धारा–309(4) बी0एन0एस0 से संबंधित है, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र मेहता द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जसने ऐसा कोई घटना कारित नहीं किया जैसा उसके विरूद्व लगाया गया है। यद्यपि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है और न ही प्राथमिकी मे बताए उम्र का परिमाप आवेदक से मेल नहीं होता है। प्राथमिकी में उल्लेखित किसी भी सामग्री को आवेदक के पास से बरामद नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक का टी0आई0 परेड भी नहीं कराया गया है। आवेदक का सह–अभियुकतों से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 02.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नही है तथा न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने कृपा की जाए।

Satish Kumar
22.06.26

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि केस के सूचक केशव कुमार शुक्ला जो नया बाजार एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने स्थित इंस्टाकार्ट सर्विस प्रा0 लि0 मे हब इंचार्ज के रूप में कार्यरत है, उसके ऑफिस में दिनांक 27.02.2026 को रात्री करीब 11:19 बजे चार अज्ञात हथियारबद्ध व्यक्ति जिसका उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच का होगा वे लोग ऑफिस में घुसकर उपरोक्त तिथि का केश मूल्य 1,84,899 रूपया, 22 शिपमेंट जिसका मूल्य 297472 रूपया (कुल मूल्य 4,82371 रूपया) तथा 19 मोबाइल साथ ही एक वाई0फाई0 राउटर और SDWAN डिवाइस लेकर चला गया।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–388 / 2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–66 / 2026
–2–

लगातार
22–06–26

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा– 309(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार घटना तिथि की रात्रि करीब 11:18 बजे चार अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति Instakart Service Pvt. Ltd. के ऑफिसर (जहॉ सूचक हब इंचार्ज के रूप में कार्यरत था) में घुसकर 1,84,899 रूपया कैश एवं 22 शिपमेंट (कीमत 2,97,472 रूपया) जिसमें 19 मोबाइल साथ ही एक Wi-fi Router और SDWAN डिवाइस था लेकर चला गये।

आवेदक यद्यपि प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है परंतु अनुसंधान के कम में आवेदक का नाम सामने आया है। सह अभियुक्त मंसूर कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक के साथ मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया था। कांड दैनिकी के पारा–03, 04 एवं 05 में वादी तथा साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। कांड दैनिकी के पारा–30 में सह अभियुक्त मंसूर कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें स्वंय के साथ साथ आवेदक का संलिप्तता का दावा किया गया है।

परंतु अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पास से किसी प्रकार के सामग्री की बरामदगी नहीं है और न ही साक्षियों ने कोई संदेह व्यक्त किया है। स्वीकारोक्ति बयान के अतिरिक्त कोई भी साक्ष्य आवेदक के विरूद्व अभिलेख पर नहीं है। आवेदक दिनांक 02.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्व अनुसंधान पूर्ण है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000 / –रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय मे सदेह उपस्थित रहेंगे, अवहेलना की स्थिति मे आवेदक का बंध–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

लेखापित
Satish Kumar
22.06.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।